

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2015

सं0 8/2015-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि.\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2011-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 01 मार्च, 2011 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड (3), उपखंड (i) में, सा0का0नि0 117(अ), तारीख 01 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं.1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"1क	0402 91 10 या 0402 99 20	मात्रक आधानों में रखा गया संघनित दुग्ध" ।
-----	-----------------------------	---

(फा.सं. 334/5/2015-टीआरयू)

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 117(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 09/2014-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 11 जुलाई, 2014 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि.सं. 440(अ) तारीख 11 जुलाई, 2014, द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।